



OFFICE OF THE DIRECTOR,
DIRECTORATE OF FORENSICS SERVICES,
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA HILLS, JUNGA, INDIA, 171218
Tel/Fax: 0177-2752521/27, email: sfsl-hp@nic.in

RECRUITMENT ADVERTISEMENT

No. DFS-II-Class-IV (Recruitment)/19 - 7198

Dated: 11/12/2019

Applications duly filled in on the prescribed application format are invited from the eligible candidates to fill up the post(s) of Peon, Laboratory Attendant (Class-IV) & Driver (Class-III) on **Daily Wage Basis** in the Directorate of Forensics Services, Himachal Pradesh, Junga, Distt. Shimla. The details of posts, educational qualification and emoluments/wages are as under:-

Name of Post	Number of Posts	Educational Qualifications	Wages
Peon (Class-IV)	02 (UR)	Matric	Rs. 250/- Per day
Laboratory Attendant (Class-IV)	02(UR)	Middle Pass	Rs.250/- per day
Driver (Class-III)	01(UR)	Matric	Rs.305/- per day

The eligibility criteria, educational qualifications, experience, complete terms & conditions, etc. can be viewed and downloaded from DFS website: <https://www.himachal.nic.in/home/forensics> from 12.12.2019 to 31.12.2019 up to 05:00 PM. The Last date and time for submission of application forms & documents is 31.12.2019 up to 05:00 PM.

(Director)



निदेशक कार्यालय,
निदेशालय न्यायालयिक विज्ञान सेवाए,
हिमाचल प्रदेश, शिमला हिल्स, जुन्गा ।
दूरभाष / फ़ैक्स: 0177.2752521 / 27, email: sfsl-hp@nic.in

भर्ती बारे विज्ञापन

संख्या डीएफएस-II-वर्ग -IV (भर्ती)/19- 7198

दिनांक: 11.12.2019

विधिवत रूप से निर्धारित आवेदन पर भरे गए आवेदन योग्य उम्मीदवारों को चपड़ासी, प्रयोगशाला परिचर (वर्ग-IV) और चालक (वर्ग-III) के पद भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों को निदेशालय न्यायालयिक विज्ञान सेवाए, हिमाचल प्रदेश, शिमला हिल्स, जुन्गा में दैनिक वेतन के आधार पर आमंत्रित किया जाता है। पदों का विवरण, शैक्षणिक योग्यता और वेतन/मजदूरी निम्नलिखित प्रकार से है:-

पदनाम	पदों की सं०	शैक्षणिक योग्यता	मजदूरी
चपड़ासी -वर्ग-IV	02 (अनारक्षित)	दसवीं पास	₹ 250 प्रतिदिन
प्रयोगशाला परिचर- वर्ग-IV	02 (अनारक्षित)	आठवीं पास	₹ 250 प्रतिदिन
चलक- वर्ग-III	01 (अनारक्षित)	दसवीं पास	₹ 305 प्रतिदिन

पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, व्यय, पूर्ण नियम और शर्तें आदि को इस कार्यालय की official website <https://himachal.nic.in/home/forensics> दिनांक 12.12.2019 से 31.12.2019 5:00 बजे शाम तक देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि और समय 31.12.2019 शाम 5:00 बजे तक है।

(निदेशक)

**OFFICE OF THE DIRECTOR,
DIRECTORATE OF FORENSICS SERVICES,
HIMACHAL PRADESH,SHIMLA,HILLS,JUNGA**
website . <https://himachal.nic.in/home/forensics>

Applications are invited from desirous and eligible candidates for Recruitment to the post(s) of Peon, Laboratory Attendant (Class-IV) and Driver(Class-III) on Daily Wages Basis in Directorate of Forensics Services,Himachal Pradesh, Junga,Distt.Shimla-171218.

Name of Post	Number of Posts	Educational Qualifications	Wages
Peon (Class-IV)	02 (UR)	Matric	Rs. 250/- Per day
Laboratory Attendant (Class-IV)	02(UR)	Middle Pass	Rs.250/- per day
Driver (Class-III)	01(UR)	Matric	Rs.305/- per day

Important instructions

For Peon, Laboratory Attendant & Driver

- 1 Date for determining eligibility of all candidates in respect of essential qualification(s) and experience, if any, etc., shall be the prescribed closing date for submission applications on plain paper i.e. 31/12/2019.
- 2 The candidates must read the instructions carefully for applying which are available on the website of the Director Forensics Services, Himachal Pradesh, Shimla Hills, Junga-171218, i.e. <https://himachal.nic.in/home/forensics> before applying for the above post.
- 3 The candidates must ensure their eligibility in respect of category, age and essential qualifications(s) etc. as mentioned in the advertisement to avoid rejection at any later stages.
- 4 The benefit of reservation will be admissible only to the candidates, who are bonafide residents of Himachal Pradesh.
- 5 The candidates must be registered with employment exchange in Himachal Pradesh.
- 6 In service candidates may apply with information to their Head of Departments/Employer for issuing NOC. No in service candidate will be evaluated unless he/she brings NOC from the concerned employer.
- 7 Disputes, if any, shall be subject to Court jurisdiction at Shimla.

Eligibility Conditions:

1	Age	Between 18 years to 45 years Clarifications:-
		a. Age of a candidate shall be reckoned as on 1/12/2019.
		b. Five years relaxation in upper age limit is admissible only to the bonafide SC of H.P./ST of H.P./OBC of H.P./WFF of H.P./Persons with disabilities of Himachal Pradesh. For H.P. Govt. Employees and Ex-Servicemen of H.P. age relaxation is as per Government's instructions issued from time to time.

2	Essential Qualifications (s) For Peon	(a)	Essential Qualifications(s):- Should have passed Matriculation Examination from recognized Board of School Education/Institution.
		(b)	Desirable Qualifications(s):- Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
3	Essential Qualifications for Laboratory Attendant		Essential Qualifications(s):- Should have passed Middle Examination from recognized Board of School Education/Institution.
			Desirable Qualifications(s):- Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
4	Essential Qualification for Driver		Essential Qualifications(s):- i).Should have passed Matriculation Examination from recognized Board of School Education/Institution. ii) Must possess valid Driving License for the plying of heavy/light vehicle in Hilly terrain.
			Desirable Qualifications(s):- Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

Note:-

For the post of Peon and Lab Attendant

The decision of the Department regarding eligibility etc. of a candidate for selection will be final and no correspondence/personal enquiries will be entertained.

Onus of proving that a candidate has required essential qualifications(s) by the stipulated date is on the candidate and in the absence of proof to the contrary, the date as mentioned on the face of certificate/degree or the date of issue of certificate/degree shall be taken as date of acquiring essential qualification. No extra opportunity shall be provided to the candidates to produce appropriate certificates at the time of evaluation.

For the post of Driver

The decision of the Department regarding eligibility etc. of a candidate for selection will be final and no correspondence/personal enquiries will be entertained.

Onus of proving that a candidate has required essential qualifications(s) by the stipulated date is on the candidate and in the absence of proof to the contrary, the date as mentioned on the face of certificate/degree or the date of issue of certificate/degree shall be taken as date of acquiring essential qualification. The candidate must possess valid Driving License for the plying of heavy/light vehicle in Hilly terrain from the competent authority No extra opportunity shall be provided to the candidates to produce appropriate certificates at the time of interview.

How to Apply for the post of Peon & Lab Attendant:-

1 The Candidates must apply on the prescribed application format along with **Evaluation Form** (which are available on the official website of this office <https://himachal.nic.in/home/forensics>) and other relevant supporting documents and applications should reach in the office of the **Director, Directorate, Forensics Services, Himachal Pradesh, Shimla Hills, Junga-171218** on or before **31-12-2019**.

How to Apply for the post of Driver :-

2 The Candidates must apply on prescribed application format (available on the official website of this office <https://himachal.nic.in/home/forensics>) and other relevant supporting documents and applications should reach in the office of the **Director, Directorate, Forensics Services, Himachal Pradesh, Shimla Hills, Junga-171218** on or before **31-12-2019**.

Examination Fees:- No Examination Fee applicable to all category

Scheme of Examination for Class-IV:-

In view of Government of Himachal Pradesh Department of Personnel Notification No. Per (AP.B) B(15)-5/2014 dated 17.04.2017, the selection shall be made on the basis of percentage of Marks obtained in qualifying examination to be calculated out of 85. For Example, a candidate getting 50% marks in Matric will be given 42.5 marks followed by evaluation, based on the following parameters:-

Criteria of Evaluation for 100 Marks for various Class-IV Posts

Sr. No.	Detail of Criteria of 100 Marks	Marks	Competent Authority to issue the certificate*
1	Percentage of marks obtained in qualifying examination to be calculated out of 85. (For example a candidate getting 50% marks in metric will be given 42.5 marks)	85 (Eighty Five)	Concerned University/Board
2	Belonging to notified Backward Area or Panchayat as the case may be.	1 (One)	Concerned SDO (C), Tehsildar/Naib Tehsildar
3	Land less family/family having land less than One Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	2 (Two)	Concerned SDO (C), Tehsildar/Naib Tehsildar
4	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government.	2.5 (Two & half)	Concerned SDO (C), Tehsildar/Naib Tehsildar
5	Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity.	1 (One)	Health & Family Welfare Authorities/Medical Boards
6	NSS (At least one year) certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide. Medal winner in National level sports competitions.	1 (One)	Concerned Head of Institution. Certificate of medal winners in National level sports competitions shall be issued by concerned District Youth Services and Sports Officer/Head of Institution.
7	BPL family having family annual income (from all sources) below	2.5 (Two & half)	Concerned BDO (by taking the authenticate entries in the 'Parivar

	'40,000 or as prescribed by the Govt. from time to time.		Register' as the basis of such certificate).
8	Widow/divorced/destitute/Single women.	1.5 (One & half)	Concerned BDO (by taking the authenticated entries in the 'Parivar Register' as the basis of such certificate).
9	Single daughter/Orphan.	1 (One)	Concerned BDO (by taking the authenticated entries in the 'Parivar Register' as the basis of such certificate).
10	Experience up to a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year.)	2.5 (Two & half)	Competent authority to the concerned Govt./Semi Govt. Organization.

Criteria of Evaluation for 100 Marks for various Class-III Post

Scheme of Examination for Class-III(Driver):-

In view of Government of Himachal Pradesh Department of Personnel Notification No. Per (AP) –C-A(3)-4/2010 dated 23/10/2017 , the selection shall be made on the basis of merit of written examination covering the syllabus of Driving, maintenance skill of vehicle and Motor Vehicle Act etc. Passing of practical test be mandatory. Percentage of Marks obtained in qualifying examination to be calculated out of 85. For Example, a candidate getting 50% marks in Matric will be given 42.5 marks followed by evaluation based on the following parameters :-

Sr. No.	Detail of Criteria of 100 Marks	Marks	Competent Authority to issue the certificate*
1	Percentage of marks obtained in qualifying examination to be calculated out of 85. (For example a candidate getting 50% marks in metric will be given 42.5 marks)Written Test	85 Marks	
2	Weightage for the minimum education qualification as per R&P Rules(Percentage of marks oabtained in education qualification would be 0.025. For example an individual has secured 50 Marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks(50X0..24=1.25	2.5(two & a half)	Concerned University/Board
3	Belonging to notified Backward Area or Panchayat as the case may be.	1 (One)	Concerned SDO (C), Tehsildar/Naib Tehsildar
4	Land less family/family having land less than One Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	1 (One)	Concerned SDO (C), Tehsildar/Naib Tehsildar
5	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government.	1 (One)	Concerned SDO (C), Tehsildar/Naib Tehsildar

6	Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity.	1 (One)	Health & Family Welfare Authorities/Medical Boards
7	NSS (At least one year) certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide. Medal winner in National level sports competitions.	1 (One)	Concerned Head of Institution. Certificate of medal winners in National level sports competitions shall be issued by concerned District Youth Services and Sports Officer/Head of Institution.
8	BPL family having family annual income (from all sources) below `40,000 or as prescribed by the Govt. from time to time.	2. (Two)	Concerned BDO (by taking the authenticate entries in the 'Parivar Register' as the basis of such certificate).
9	Widow/divorced/destitute/Single women.	1 (One)	Concerned BDO (by taking the authenticated entries in the 'Parivar Register' as the basis of such certificate).
10	Single daughter/Orphan.	1 (One)	Concerned BDO (by taking the authenticated entries in the 'Parivar Register' as the basis of such certificate).
11	Training at list of 6 months duration related to the post applied from a recognised university/institute	1(one)	
12	Experience up to a maximum of 5 years in Govt./ Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year.)	2.5 (Two & half)	Competent authority to the concerned Govt./Semi Govt. Organization.

***Note:-** For item No. (2) to (9), the authority competent to issue certificate is as per letter No. Per (AP-B) B (15)5/2014-loose-I, dated 18.07.2017 and Per(AP)-C-A(3)-4/2010 dated 23/10/2017 issued by the Additional Chief Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh.

Category Claims:-

The category once claimed by the candidate(s) will not be allowed to be changed after the evaluation.

Other Conditions:-

- 1 All candidates, whether in Government Service or Government owned Industrial or Public Enterprises or other similar organizations or in private employment should submit their applications directly to the Department. Persons already in regular Government service, whether in a permanent or temporary capacity are required to submit a declaration that they have informed in writing to their Head of Office/Department that they have applied for a particular post. In case, a communication is received from their employer by the Department withholding permission to any candidate applying for said post his/her application(s) will be liable to be rejected.
- 2 Casual/adhoc/daily rated/work charged/contractual employees do not need to produce NOC from the concerned employer.
- 3 In Government service (regular service) candidates may apply to the Department with information to their Head of Departments/Employer for issuing NOC. Any candidates, who are in regular Government Service or government owned Industrial Service, will not be evaluated unless he/she produces NOC from the concerned employer.
- 4 Furnishing of false information and documents or suppression of any factual information in the application form would entail disqualification. If the fact that false information/documents(s) has been furnished or that there has been suppression of any

factual information in the application; comes to the notice at any time during the service of a person, his/her service would be liable to be terminated.

- 5 The desirous candidate must be registered with the employment exchange in Himachal Pradesh.
- 6 The candidates applying for the post(s) should ensure that they fulfill all the eligibility conditions to attend evaluation process. Their admission for Evaluation will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or during evaluation process, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions; their candidature for the examination will be cancelled by the Department.
- 7 Candidate who is or has been declared by the Department to be guilty of:-
 - (a) Obtaining support for his/her candidature by the following means, namely:-
Offering illegal gratification to, or
Applying pressure on, or
Blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination, or
 - (b) Impersonating or
 - (c) Procuring impersonation by any person, or
 - (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
 - (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
 - (f) Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Department for the conduct of evaluation process, or
 - (g) attempting to commit or as the case may be abetting the Department of all or any of the acts specified in the foregoing clauses; may in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable to be disqualified by the Department from the examination for which he/she is a candidate and/or
 - (h) to be debarred either permanently or for specified period:-
By the Department from any examination or selection held by them.
By the Central/State Government from any employment under them, and
 - (i) If he/she is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate Rules. Provided that no penalty under these Rules shall be imposed except, after:-
Giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he/she may wish to make in that behalf; and
Taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him/her into consideration.

Disqualifications for admission to evaluation process:-

No candidate will be eligible for admission to the evaluation process:-

- a) If he/she has been dismissed from any previous service;
- b) If he/she has been convicted of any offence involving moral turpitude or has been permanently debarred/disqualified from appearing in any examination or selection;
- c) If he/she is found either directly or indirectly influencing the selection process in any manner;
- d) If a male candidate who has more than one living wife and if a female candidate, who has married a man already having another wife; or
- e) If he/she is an un-discharged insolvent.

**Director Forensics Services,
Himachal Pradesh**

Evaluation Form

**OFFICE OF THE DIRECTOR
DIRECTORATE OF FORENSICS SERVICES,
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA HILLS, JUNGA-171218**

**Criteria of Evaluation for 100 marks for the post of Peon and Lab Attendant (Class-IV)
(To be filled by candidate)**

Sr. No.	Detail of Criteria of 100 marks	Marks	Marks claimed by the candidate
1	Percentage of marks obtained in qualifying examination to be calculated out of 85. (for example, a candidate getting 50% marks in metric will be given 42.5 marks)	85 (Eighty Five)	
2	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	1 (One)	
3	Land less family/family having land less than One Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	2 (Two)	
4	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi Government.	2.5 (Two & half)	
5	Differently abled persons with more than 40% impairment/Disability/infirmity.	1 (One)	
6	NSS (at least one year) certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide. Medal winner in National level sports competitions.	1 (One)	
7	BPL family having family annual income (from all sources) below Rs.40000 or as prescribed by the Govt. from time to time.	2.5 (Two & half)	
8	Widow/divorced/destitute/single women.	1.5 (One & half)	
9	Single daughter/Orphan.	1 (One)	
10	Experience up to a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 mark only for each completed year)	2.5 (Two & half)	
Total		100 (Hundred)	

Note:- Wherever marks are claimed, candidate is required to attach attested/self-attested copy of marks sheet/certificate and to show the original to Department as and when called to do so.

Encls:-

- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 2..... |
| 3..... | 4..... |
| 5..... | 6..... |

Signature of the Candidate

Name _____

Address _____

**निदेशक कार्यालय,
निदेशालय न्यायालयिक विज्ञान सेवाए,
हिमाचल प्रदेश, शिमला हिल्स, जुब्बा ।**

वेबसाईट: <https://himachal.nic.in/home/forensics>

निदेशालय न्यायालयिक विज्ञान सेवाए, हिमाचल प्रदेश, शिमला हिल्स, जुब्बा में दैनिक मजदूरी पर चपड़ासी एवं प्रयोगशाला परिचर (वर्ग-IV) और चालक (वर्ग-III) के पदों की भर्ती के लिए आवेदन योग्य उम्मीदवारों से आमन्त्रित किए जाते हैं:-

पदनाम	पदों की सं०
चपड़ासी वर्ग-IV (दैनिक मजदूरी पर)	कुल पद =02 (अनारक्षित =02)
दैनिक मजदूरी	₹ 250 प्रतिदिन
प्रयोगशाला परिचर (वर्ग-IV)(दैनिक मजदूरी पर)	कुल पद =02 (अनारक्षित =02)
दैनिक मजदूरी	₹ 250 प्रतिदिन
चालक (वर्ग-III)(दैनिक मजदूरी पर)	कुल पद =01 (अनारक्षित =01)
दैनिक मजदूरी	₹ 305 प्रतिदिन

महत्वपूर्ण निर्देश:-

- आवेदन पत्र सादे कागज पर आवश्यक योग्यता (ओं) और अनुभव, यदि कोई हो, आदि के सम्बन्ध में सभी उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने की तारीख यानी 31.12.2019 तक जमा करने के लिए निर्धारित समाप्ति तिथि होगी।
- उम्मीदवारों को आवेदन के लिए सावधानी से निर्देशों को पढ़ना होगा, जो उपरोक्त पद के लिए आवेदन करने से पहले निदेशालय न्यायालयिक विज्ञान हिमाचल प्रदेश की वेबसाईट पर उपलब्ध है, यानी <https://himachal.nic.in/home/forensics> अभ्यर्थियों को किसी भी बाद के चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए विज्ञापन में वर्णित श्रेणी, आयु और आवश्यक योग्यता इत्यादि के सम्बन्ध में उनकी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी।
- आरक्षण का लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य होगा, जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हैं।
- उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- सेवारत उम्मीदवार एन0ओ0सी0 जारी करने के लिए अपने विभागों के प्रमुख/नियोक्ता को जानकारी के साथ आवेदन कर सकते हैं। सेवारत उम्मीदवार का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जब तक वह सम्बन्धित नियोक्ता से एन0ओ0सी0 नहीं लाता है।
- विवाद, यदि कोई हो, शिमला में न्यायालय क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

पात्रता शर्तें:-

आयु	18 से 45 साल के बीच आयु
	स्पष्टीकरण:-
	(क) उम्मीदवार की आयु की गणना 1.12.2019 को मानी जाएगी।
	(ख) ऊपरी आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट केवल हिमाचली SC/ST/OB/WFF/ हिमाचल प्रदेश के विकलांगों के लिए स्वीकार्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी एवं हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु छूट सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी।
चपड़ासी वर्ग-IV	(क) आवश्यक योग्यता:- किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास हो।

	(ख) वांछनीय योग्यता:- हिमालच प्रदेश के रीति रिवाजों, शिष्टाचार और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान असाधारण स्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
प्रयोगशाला परिचर (वर्ग-IV)	(क) आवश्यक योग्यता:- किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से आठवीं पास (Middle Pass) पास हो।
	(ख) वांछनीय योग्यता:- हिमालच प्रदेश के रीति रिवाजों, शिष्टाचार और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान असाधारण स्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
चालक(वर्ग-III)	(क) आवश्यक योग्यता:- (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास हो। (ii) पहाड़ी स्थानों पर हल्के/भारी वाहन चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
	(ख) वांछनीय योग्यता:- हिमालच प्रदेश के रीति रिवाजों, शिष्टाचार और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान असाधारण स्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

ध्यान दे:-

चपड़ासीयों एवं प्रयोगशाला परिचर (वर्ग-IV) के पदों के लिए:-

- चयन के लिए उम्मीदवार की पात्रता आदि के सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा और कोई भी पत्राचार/व्यक्तिगत पूछताछ मान्य नहीं होगी।
- यह साबित करने का दायित्व कि एक उम्मीदवार ने निर्धारित तिथि से आवश्यक योग्यता प्राप्त की है, उम्मीदवार पर होगा और सबूत की अनुपस्थिति में, प्रमाण पत्र/डिग्री या प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के अनुसार उल्लेखित तिथि/डिग्री आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की तारीख के रूप में लिया जाएगा। मूल्यांकन के समय उचित प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

चालक(वर्ग-III) के पद के लिए:-

- चयन के लिए उम्मीदवार की पात्रता आदि के सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा और कोई भी पत्राचार/व्यक्तिगत पूछताछ मान्य नहीं होगी।
- यह साबित करने का दायित्व कि एक उम्मीदवार ने निर्धारित तिथि से आवश्यक योग्यता प्राप्त की है, उम्मीदवार पर होगा और सबूत की अनुपस्थिति में, प्रमाण पत्र/डिग्री या प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के अनुसार उल्लेखित तिथि/डिग्री आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की तारीख के रूप में लिया जाएगा। प्रार्थी पहाड़ी स्थानों पर हल्के/भारी वाहन चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारक हो। मूल्यांकन के समय उचित प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

चपड़ासीयों एवं प्रयोगशाला परिचर (वर्ग-IV) के पदों के लिए आवेदन कैसे करें:-

अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र एवं मूल्यांकन प्रपत्र सहित (जो कि इस कार्यालय की वेबसाइट <https://himachal.nic.in/home/forensics> पर उपलब्ध है) आवेदन करना होगा और आवेदन निदेशक, निदेशालय न्यायालयिक विज्ञान सेवाएँ, हिमाचल प्रदेश, शिमला हिल्स, जुन्गा के कार्यालय में 31.12 .2019 तक पहुंच जाना चाहिए।

चालक(वर्ग-III) के पद के लिए आवेदन कैसे करें:-

अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र (जो कि इस कार्यालय की वेबसाइट <https://himachal.nic.in/home/forensics> पर उपलब्ध है) पर आवेदन करना होगा और आवेदन निदेशक, निदेशालय न्यायालयिक विज्ञान सेवाए, हिमाचल प्रदेश, शिमला हिल्स, जुब्बा के कार्यालय में 31.12.2019 तक पहुंच जाना चाहिए।

परीक्षा शुल्क:- कोई परीक्षा शुल्क नहीं।

परीक्षा की योजना:-

चपड़ासीयों एवं प्रयोगशाला परिचर (वर्ग-IV) के पदों के लिए:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या: पर(एपीबी)बी(15)-5/2014, दिनांक 17.04.2017 द्वारा वर्ग-IV पदों के लिए चयन तय अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा जो 85 अंकों से तय किये जायेंगे। उदाहरण के लिए मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिए जाएंगे तत्पश्चात निम्नलिखित पैरामीटर के आधार पर मूल्यांकन के बाद अंक दिए जायेंगे।

विभिन्न वर्ग-IV पदों के लिए 100 अंकों के लिए मूल्यांकन के मापदंड:-

क्र० सं०	100 अंकों के मापदण्डों का विवरण	अंक	प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी*
1	क्वालीफाईंग परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना 85 से की जाएगी। (उदाहरण के लिए मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिये जाएंगे)	85	सम्बन्धित विश्वविद्यालय/बोर्ड
2	यदि अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित हो।	1	सम्बन्धित उपमण्डलीय अधिकारी (ना०)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार
3	भूमिहीन परिवार/परिवार के एक हैक्टर से कम भूमि का प्रमाण पत्र जोकि सम्बन्धित राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।	2	सम्बन्धित उपमण्डलीय अधिकारी (ना०)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार
4	गैर-रोजगार प्रमाण पत्र इस आशय के साथ कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है।	2.5	सम्बन्धित उपमण्डलीय अधिकारी (ना०)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार
5	40% से अधिक स्थाई/विशेष रूप से सक्षम/दिव्यांग।	1	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी/मेडिकल बोर्ड
6	एन०एस०एस० (कम से कम एक वर्ष) एन०सी०सी०/भारत स्काउट और गाइड में प्रमाण पत्र धारक। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता।	1	सम्बन्धित संस्थान के प्रमुख। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला युवा सेवाएं और खेल अधिकारी/संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो।
7	बीपीएल परिवार के पास पारिवारिक वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) 40000 से कम या सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार।	2.5	सम्बन्धित बीडीओ (परिवार रजिस्टर में प्रमाणित प्रविष्टियों के आधार पर)

8	विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/एकल महिला।	1.5	सम्बन्धित बीडीओ (परिवार रजिस्टर में प्रमाणित प्रविष्टियों के आधार पर)
9	एकल बेटी/अनाथ।	1	सम्बन्धित बीडीओ (परिवार रजिस्टर में प्रमाणित प्रविष्टियों के आधार पर)
10	सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान में पद से सम्बन्धित अधिकतम 5 वर्षों का अनुभव। (0.5 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए)	2.5	सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी सरकारी/अर्धसरकारी संगठन।

चालक(वर्ग-III) के पद :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या: Per(AP)-C-A(3)-4/2010 dated 23/10/2017 द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन यान के चलाने के पाठयक्रम उसके रखरखाव कौशल और मोटरयान अधिनियम आदि के अन्तर्गत लिखित परीक्षा जिसका स्तर सम्बन्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। व्यवहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। भर्ती के लिये तय अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा जो 85 अंकों से तय किये जायेंगे। उदाहरण के लिए मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिए जाएंगे तत्पश्चात निम्नलिखित पैरामीटर के आधार पर मूल्यांकन के बाद अंक दिए जायेंगे।

1,	लिखित परिक्षा { लिखित परिक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परिक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।	85 अंक
	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:- i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। = 2.5 अंक { शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांको की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक (50x0.025 = 1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे}। ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक iii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। = 01 अंक iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कटुम्ब का कोई सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। = 01 अंक iv) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक v) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। =01 अंक vi) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/- रुपये से कम (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कटुम्ब। =02 अंक vii) विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला। =01 अंक	15 अंक सम्बन्धित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किये होने चाहिये ।

	<p>viii) इकलौती पुत्री/अनाथ =01 अंक</p> <p>ix) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। =01अंक</p> <p>x) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5अंक</p>	

***नोट:-** आइटम नम्बर (2) से (9) के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) द्वारा जारी पत्र संख्या Per (AP-B)B(15)5/2014-loose-1 दिनांक 18.07.2017 एवं Per (AP)-C-A(3)-4/2010 dated 23/10/2017 के अनुसार है।

श्रेणी दावा:-

अभ्यर्थी द्वारा अधियाचित श्रेणी को मूल्यांकन के बाद बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अन्य शर्तें:-

- 1 सभी उम्मीदवार चाहे वह सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या सार्वजनिक उद्यमों या अन्य समान संगठनों में या निजि रोजगार में हो को अपना आवेदन सीधे विभाग को जमा करना होगा। पहले से ही स्थाई सरकारी सेवारत व्यक्ति, चाहे स्थाई या अस्थायी क्षमता में हो, को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख को लिखित रूप में सूचित किया है कि उन्होंने किसी पद के लिए आवेदन किया है। यदि किसी नियोक्ता द्वारा आवेदन करने वाले किसी उम्मीदवार को अनुमति देने के लिए मना करने हेतु कोई पत्राचार प्राप्त होता है तो उसके आवेदन को रद्द किया जाएगा।
- 2 आकस्मिक/अस्थायी/दैनिक रूप में कार्यरत/अनुबन्धित कर्मचारियों को सम्बन्धित नियोक्ता से एन0ओ0सी0 लाने की आवश्यकता नहीं है।
- 3 सरकारी सेवा (नियमित सेवा) में उम्मीदवार विभाग प्रमुख/नियोक्ता को एन0ओ0सी0 जारी करने की सूचना के साथ आवेदन कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाली औद्योगिक सेवा में है का मूल्यांकन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सम्बन्धित नियोक्ता से एन0ओ0सी0 प्रस्तुत नहीं करते।
- 4 आवेदन पत्र में किसी भी तथ्यात्मक जानकारी की झूठी सूचना और दस्तावेजों का देना पात्रता में अयोग्यता होगी। यदि सेवा के दौरान किसी भी समय नोटिस पर आता है कि झूठी सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं या आवेदन में किसी भी तथ्यात्मक जानकारी का दमन हुआ है तो व्यक्ति की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
- 5 आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी फोटो लगानी होगी।
- 6 इच्छुक उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- 7 पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन मूल्यांकन के लिए उनका प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी होगा। यदि मूल्यांकन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी समय पर यह पाया जाता है कि वह पात्रता शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी विभाग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।
- 8 अभ्यर्थी जो विभाग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:-
(ए) निम्नलिखित माध्यमों से उनकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, अर्थात:-
 - अवैध परितोषण की पेशकश या
 - दवाब डालना, या

- ब्लैकमेलिंग या परीक्षा के कार्य संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना या धमकी देना, या

(बी) प्रतिरूपण, या

(सी) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण प्राप्त करना, या

(डी) फर्जी दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, या

(ई) ऐसा बयान देना जो झूठा हो, या

(एफ) मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विभाग द्वारा नियोजित कर्मचारियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना, या

(जी) प्रतिबद्ध करने का प्रयास कर रहा है या मामला पूर्वगामी खण्डों में निर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य से विभाग को परेशान करता हो, आपराधिक अभियोजन पक्ष के लिए खुद को उत्तरदायी बनाने के अलावा, विभाग द्वारा परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए वह उम्मीदवार है और/या

(एच) तो स्थाई रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए debarred किया जा सकता है:—

- विभाग द्वारा उनके तहत आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से।

- केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा उनके तहत किसी भी रोजगार से, और

(आई) यदि वह सरकार के अधीन सेवा में है तो उचित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही, बशर्ते कि इन नियमों के तहत कोई दण्ड लागू नहीं किया जाएगा, सिवाय निम्नलिखित के पश्चात:—

- उम्मीदवार को लिखित में अपना पक्ष रखने का मौका देने तथा अभ्यर्थी द्वारा दी गई अवधि के भीतर प्रस्तुत किए गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो उसे लेना।

मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रवेश हेतु अपात्रता:—

कोई भी उम्मीदवार मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा:—

(ए) अगर उसे किसी भी पिछली सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है;

(बी) यदि उसे नैतिक अशांति से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या किसी भी परीक्षा या चयन में भाग लेने से स्थाई रूप से वंचित/अयोग्य घोषित किया गया है;

(सी) यदि वह किसी भी तरीके से चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

(डी) यदि एक पुरुष उम्मीदवार जिसके पास एक से अधिक जीवित पत्नी है और यदि महिला उम्मीदवार है, जिसने ऐसे पुरुष से शादी की है जिसकी दूसरी पत्नी है ; या

(ई) यदि वह एक अमुक्त दिवालिया है।

निदेशक न्यायलयिक सेवाएं,

हिमाचल प्रदेश

मूल्यांकन प्रपत्र

निदेशालय न्यायालयिक विज्ञान सेवाए, हिमाचल प्रदेश, शिमला हिल्स, जुब्बा

चपड़ासी (वर्ग-IV) के पद के लिए 100 अंकों के लिए मूल्यांकन का मापदंड

(उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के लिए)

क्र०सं०	100 अंको के मापदंडो का विवरण	अंक	उम्मीदवार द्वारा दावा किये गये अंक
1	क्वालीफाईंग परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना 85 से की जाएगी। (उदाहरण के लिए मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिए जाएंगे)	85	
2	यदि अधिसूचित पिछडा क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित हो।	1	
3	भूमिहीन परिवार/परिवार के पास 1 हैक्टेयर से कम भूमि जोकि सम्बन्धित राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।	2	
4	गैर-रोजगार प्रमाण पत्र इस आशय के साथ कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है।	2.5	
5	40% से अधिक स्थाई/विशेष रूप से सक्षम/दिव्यांग।	1	
6	एन०एस०एस० (कम से कम एक वर्ष) एन०सी०सी०/भारत स्काउट और गाइड में प्रमाण पत्र धारक। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता।	1	
7	बी०पी०एल० परिवार के पास पारिवारिक वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) 40000 से कम या सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार।	2.5	
8	विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/एकल महिला।	1.5	
9	एकल बेटा/अनाथ।	1	
10	सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान में पद से सम्बन्धित अधिकतम 5 वर्षों का अनुभव। (0.5 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए)	2.5	

नोट:- जहाँ भी अंकों का दवा किया गया हो, उम्मीदवार को अंक पत्र/प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति/स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी और बुलाये जाने पर मूल प्रमाण पत्र विभाग को दिखाना होगा।

अनुलग्नक:-

- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 2..... |
| 3..... | 4..... |
| 5..... | 6..... |

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम _____

पता _____

FORM OF APPLICATION

Post applied for _____

Latest Passport
Size Photo

1.	Name of Applicant (in capital letters)					
2.	Father's/Husband Name					
3.	Date of Birth	dd	mm	yyyy		
4.	Category (GEN/SC/ST/OBC)					
5.	Age (as on 1/12/2019)					
6.	Male/Femala					
7.	Married/Unmarried					
8.	Permanent Adress with phone Number					
9.	Adress for Correspondance					
10.	Distt.					
11.	State					
12.	Postal PIN Code					
13.	Mobile No.					
14.	E-mail ID(if any)					
15.	Adharr Number					
16.	Educational Qualification (attach attested coopes	Sr. No.	Education Qualifi cation	Name of institute/ Board	Year of passing	% age of marks)
		1				
		2				
		3				
		4				
17.	Expericne, if any					

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I hereby declare that the above information is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I have not suppressed any material or factual information. I have not been debarred from appearing in any examination nor I have ever been arrested, prosecuted or convicted by any criminal court or involved in any other case registered by the police. I understand that my candidature is liable to be rejected in the event of any misstatement/discrepancy in the particulars given in the application form. In case, I am selected and appointed, my services are liable to be terminated without any notice to me or reason thereof, in case, it is found at any later stage that I have given wrong information in my application form.

Date:

(Signature of Candidate)

Place: